तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज
19-06-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली इन्तजार TDR इन्द्रगढ़ रिपोर्ट दिनांक 10-7-24 को पेश हो।
10-7-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप०। पत्रावली इन्तजार TDR इन्द्रगढ़ रिपोर्ट दिनांक 18-07-24 को पेश हो।
18-07-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप०। तहसीलदार इन्द्रगढ़ रिपोर्ट पेश नहीं की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है जिसका सीमाज्ञान प्रार्थीगण ने दिनांक 23.05.23 को कराया है की सत्यापित प्रतिलिपी पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस करना चाहा। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई व बहस पर मनन किया। दौराने बहस अ प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थीगण की खाते की कृषिभूमि की पत्थरगढ़ी किए जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

नम्बर व अहकाम इकम्म ... जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

30/प्रा.पत्र/2024

दायरा दिनांक 02.06.2023

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान

1. दिलीप मुण्डेल आत्मज श्री रामनारायण जाति जाट निवासी खांगटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. गैंदा देवी पत्नी श्री दिलीप मुण्डेल जाति जाट निवासी ग्राम खांगटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रार्थिगण

बनाम

1. बिनी शंकर आत्मज श्री गणपत जाति माली निवासी मड़िया(ढ़गारिया) तहसील इन्द्रगढ़, राजस्थान।
2. दिलखुश आत्मज श्री रामरतन जाति गूर्जर निवासी ठीकरी तहसील इन्द्रगढ़, राजस्थान।
3. हेमराज आत्मज श्री नैनगा जाति गूर्जर निवासी ठीकरी तहसील इन्द्रगढ़, राजस्थान।
4. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 111,128 एल. आर. एक्ट
प्रार्थीगण की ओर से :— श्री अब्दुल सत्तार
अप्रार्थी की ओर से :— पैरोकार सरकार।

दिनांकः— 18.07.2024

—:आदेशः—

प्रार्थिगण की ओर से प्रार्थना—पत्र पेश किया गया है कि वाके ग्राम प्रतापगढ़ पटवार हल्का ढगारिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी प्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि खाता संख्या नया 47 पुराना 51 खसरा नं0 102/2 रकबा 0.2100 व खसरा संख्या 28/2 रकबा 1.3300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.54है0 है एवं प्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि खाता संख्या नया 214 पुराना 4 खसरा नं0 102/1 रकबा 0.2100 व खसरा संख्या 28/1 रकबा 1.3300

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.54है0 है जिसके खातेदार टीनेन्ट प्रार्थिगण हैं एवं प्रार्थिगण उक्त उक्त कृषिभूमि पर काबिज काश्त चले आ रहा है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थिगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। प्रार्थिगण अपने खाते की उक्त आराजी का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। प्रार्थिगण की कृषि भूमि के समीप ही अप्रार्थिगण 1 लगायत 3 कृषि भूमि है जिसके कारण प्रार्थिगण की कृषि भूमि दबी हुई है जिसके कारण आस–पास के पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थिगण की कृषि भूमि पर कब्जा करने की संभावना है और प्रार्थिगण की कुछ भूमि सिकुड़ी हुई है प्रार्थिगण की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीया की सीमाओं को मिटाना चाहते हैं। इस बाबत् प्रार्थिगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2023 को करवाया गया। सीमांकन के संबंध में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो व प्रार्थिगण की कृषिभूमि सुरक्षित रहे इस कारण प्रार्थिगण की उक्त आराजी का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहती हैं। प्रार्थिगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थिगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी सं 4 को जवाब पेश करने हेतु बार–बार अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने से उनका जवाब बंद किया जाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब पेश कर प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए कथन किया कि अप्रार्थिगण ने प्रार्थिगण के खातेदारी हक की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है ना करना चाहते है। अप्रार्थिगण को प्रार्थिगण द्वारा दिनांक 23.05.2023 को कराये गये सीमाज्ञान की जानकारी नहीं है।

पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष बहस समाहत पत्रावली की गई। प्रार्थिगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थिगण 1 ता 3 के अधिवक्ता ने दोराने बहस कथन किया कि अप्रार्थिगण द्वारा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। प्रार्थिगण अपने खाते व कब्जे काश्त की कृषिभूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहते है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया। प्रस्तुत राजस्व अभिलेख अनुसार प्रार्थिगण उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। हमारे मत में प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि वाके ग्राम प्रतापगढ़ पटवार हल्का ढगारिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी खाता संख्या नया 47 पुराना 51 खसरा नं0 102/2 रकबा 0.2100 व

प्रखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

खसरा संख्या 28/2 रकबा 1.3300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.54है0 है एवं कृषि भूमि खाता संख्या नया 214 पुराना 4 खसरा नं0 102/1 रकबा 0.2100 व खसरा संख्या 28/1 रकबा 1.3300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.54है0 है जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थिगण की खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नियमतः नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)